

संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान, बिहार, पटना की अध्यक्षता में, दिनांक 09.07.2015
को विनिर्माता/विपणन कीटनाशी कम्पनियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के साथ
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

संविळा नं.- / उपादा कीटा-53 / 2012

बैठक में उपरिथित :-

1. श्री नईम आशरफ, संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान, बिहार, पटना।
2. श्री प्रभात कुमार, संयुक्त निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना।
3. श्री एस० एन० मल्लिक, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना।
4. डा० प्रमोद कुमार, उप निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना।
5. श्री शैलेश कुमार, उप निदेशक (शब्द) उपादान, बिहार, पटना।
6. श्री गिरजानन्द, प्रशाखा पदाधिकारी-09।
7. श्री अजय कुमार, सहायक, प्रशाखा-09।
8. श्री निर्भय कुमार सिंह, सहायक, प्रशाखा-09।

बैठक की कार्यवाही :-

1. सर्वप्रथम पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन परीक्षण की गई।
2. कीटनाशी विनिर्माण एवं विपणन कम्पनियों में अवस्थित इंडोर्सेटी जाँच करने हेतु उप निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना को निदेश दिया गया ताकि अगानक में कुछ कर्मी आ सके।

(अनुपालन:- उप निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना)

एवं विपणनकर्ता कम्पनी है उनके द्वारा इन्डोर्सेटी हेतु आवेदन करने पर उपरिथित कर व्यापार करना प्रारम्भ कर देते है, वैसे प्रतिष्ठानों को निदेश दिया कि वे कीटनाशीयों का विक्री/भंडारण इन्डोर्सेट के पश्चात ही करेंगे अन्यथा व्यापार करते पाये जाने के उपरांत शक्त कार्रवाई की जाएगी।

(अनुपालन:- कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

4. जिला स्तर पर दी जानेवाली अनुज्ञाप्ति पर प्रतिबद्धता होने के संबंध में रिझा कृषि पदाधिकारियों को Inforcement का Training आयोजित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया गया है।

(अनुपालन:- सभी जिला कृषि नोडल पदाधिकारी)

5. भारत सरकार से कीटनाशी अनुज्ञाप्ति में राजस्व वसूली के संबंध में प्राप्त आवेदन पर बैठक में उपरिथित कीटनाशी प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों से सहमति देने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा राजस्व वसूली के संबंध में प्रस्ताव भेजने हेतु भी निदेश दिया गया।

(अनुपालन:- कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

6. विनिर्माता एवं विपणन कम्पनी के प्रतिनिधियों को राइ निदेश दिया गया कि वे अनुज्ञाप्ति नवीकरण/नया/इन्डोर्सेट से संबंधित प्रस्ताव भेजने के पश्चात उनके द्वारा प्रिसिपल सर्टिफिकेट बिना तिथि एवं संख्या के प्राप्त होते हु जिसके फलस्वरूप अनुज्ञाप्ति निर्गत करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। कम्पनी के प्रतिनिधि को यह निदेश दिया गया कि वे प्रस्ताव भेजते समय पूर्ण रूप से प्रिसिपल सर्टिफिकेट भर कर समर्पित करें।

(अनुपालन:- कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

7. जिला/प्रमंडल स्तर पर कीटनाशी प्रतिनिधि एवं डिस्टीब्यूटर्स को जानकारी के अभाव किसानों को दी जानेवाली फझलों अनुशंसित दवा नहीं दिये जाने के कारण फसलों व काफी नुकसान होता है। इस क्रम में जिला/प्रमंडल स्तर पर कीटनाशी का प्रशिक्षण कराने का निदेशक दिया गया।

(अनुपालन: सहायक निदेशक, पौ० सं०, पटना एवं कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

8. कीटनाशी कम्पनियों द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रत्येक माह समर्पित नहीं किये जाने के फलस्वरूप क्षोभ व्यक्त किया गया तथा वार्षिक प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

(अनुपालन:— कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

9. कीटनाशी विपणन प्रतिष्ठानों के गोदाम में Expired pesticide पड़े रहते हैं उसका लेखा—जोखा नहीं रहने से मासिक प्रतिवेदन के संकलन में कठिनाई होती है। सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना द्वारा Expired pesticide की सूची समर्पित करने हेतु कम्पनी के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन:— कीटनाशी कम्पनियों के प्रतिनिधि)

10. बैठक में उपस्थित कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा यह बतलाया गया कि इस मासिक बैठक में भाग लेने हेतु आने के पश्चात मुख्यद्वार पर सिपाहीयों द्वारा प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। इस संदर्भ में मुख्यद्वार पर कीटनाशी कम्पनी के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित होने पर प्रवेश पत्र निर्गत करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(नईम अशरफ),
संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:—9 / उपा०कीट०—53 / 2012 ३४५६/कृ०, पटना, दिनांक, २३ जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:— बिहार राज्य स्थित सभी विनिर्माता/विपणन कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

✓✓✓✓✓
संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:—9 / उपा०कीट०—53 / 2012 ३४५६ /कृ०, पटना, दिनांक, २३ जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:— संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (पौ० सं०) बिहार, पटना/ सहायक निदेशक(सं०)—सह—प्रभारी कीटनाशी अनुज्ञाप्ति, बिहार/उप निदेशक (शाष्य) उपादान, प्रवर्तन, उर्वरक/कीटनाशी/प्रशाखा पदाधिकारी —9 / श्री अजय कुमार/ श्री निर्भय कुमार सिंह, सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण) बिहार, पटना, मीठापुर से अनुरोध है कि अपने स्तर से सभी कीटनाशी विपणन/विनिर्माता कम्पनीयों को अपने स्तर से ई—मेल से बैठक की कार्यवाही की प्रति भेजा जाय।

✓✓✓✓✓
संयुक्त निदेशक (शाष्य) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-9 / उपार्कीट0-53 / 2012 ३५५६ / कृ०, पटना, दिनांक, २३ जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- कृषि निदेशक, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान,
बिहार, पटना

ज्ञापांक:-9 / उपार्कीट0-53 / 2012 ३५५६ / कृ०, पटना, दिनांक, २३ जुलाई, 2015

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (शब्द) उपादान,
बिहार, पटना